

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित

2

3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।

पी0 ए0 वाद सं0-02/2018-19

आवेदक- मनमोहन पहाड़िया

बनाम

16 आना रैयत, मौजा- सरसा

आदेश

22-6-18

प्रस्तुत पी0 ए0 वाद सं0 02/2018-19, अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक सं0- 176/रा0 दिनांक 27.04.2018 से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मौजा सरसा के 16 आने रैयतो को विधिवत् नोटिश निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित की गई।

नोटिश तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। मौजा- सरसा के 16 आने रैयतों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गयी।

आवेदक को सुना। उनहोंने बताया कि मौजा सरसा के पूर्व प्रधान स्व0 रुपा पहाड़िया थे जो मेरे पिता थे। उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् उक्त मौजा के कार्यवाहक प्रधान के रूप में मैं स्वयं कार्य कर रहा हूँ एवं मौजा का प्रधानी पद रिक्त है। उनके द्वारा मौजा- सरसा के रिक्त प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी तालझारी ने पत्रांक 176/रा0 दिनांक 27.04.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्राप्त। जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदक पूर्व प्रधान स्व0 रुपा पहाड़िया का पुत्र है। पूर्व प्रधान स्व0 रुपा पहाड़िया के मरणोपरान्त उनका पुत्र मनमोहन पहाड़िया उक्त मौजा का कार्यवाहक प्रधान के रूप में स्वयं कार्य कर रहा है तथा इनके द्वारा मौजा का लगान जमा किया जाता है। आवेदक वर्तमान में सरसा में रहता है। अंचल अधिकारी, तालझारी के द्वारा आवेदक मनमोहन पहाड़िया पिता स्व0 रुपा पहाड़िया, सा0- सरसा, पो0- करणपुरा थाना-तालझारी जिला साहेबगज को मौजा- सरसा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है।

अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी की अनुशंसा एवं 16 आने रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक मनमोहन पहाड़िया पिता स्व0 रुपा पहाड़िया, सा0- सरसा, पो0- करणपुरा थाना-तालझारी जिला साहेबगज को संथाल परगना काश्त कारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा- सरसा के रिक्त प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। आवेदक को आदेश दिया जाता है कि वे कबुलियत दाखिल करें तत्पश्चात् पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

196/रा0
22-6-18

26/7/18

29.8.18 आदेश पर कार्रवाई/नकल तैयार करके संथाल परगना काश्त कारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत पट्टा निर्गत कर दिया गया है।
अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल